चिनम कामेश्वर राव और अन्य

बनाम

आंध्रप्रदेश राज्य, गृह सचिव द्वारा

आपराधिक अपील संख्या 11116/2011

10 जनवरी, 2013

(न्यायमूर्ति टी.एस. ओर ज्ञान सुधा मिश्रा न्यायाधीशगण)

दंड संहिता, 1860 धारा 302 एवं 324 सपिठत धारा 34 । अभियोजन/आहत पीडित ओर अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण प्रश्नगत घटना पिछले दिन की अगली कडी थी। जिसमें मृतक को अभियुक्त ने गंभीर परिणामों की धमकी दी थी। विचारण न्यायालयउड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण (अनुसूचित जनजाति द्वारा) विनियम, 1956 धारा 2(च), 3(1) एवं 5(2) विचारण न्यायालय द्वारा बरी किया, उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि- अभिनिर्धारितः आहत पीडित और अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के कथनों के प्रकाश में दोषसिद्धि को उचित ठहराया गया। प्रकरण के तथ्य साबित करते हैं कि घटना पूर्व नियोजित थी। धारा 34 के अन्तर्गत आरोप कि अनुपस्थिति का असर दोषसिद्ध की वैधता पर नहीं होगा। क्योंकि इस तरह की चूक से अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 386 दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का

विस्तार अभिनिर्धारितः दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर निर्णय लेते समय, अपीलीय न्यायालय की शक्ति किसी परिसीमा से प्रतिबंध नहीं होता। अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश को पलट सकता है। यदि, साक्ष्य के मूल्यांकन पर, यह पता है कि न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्ति करना एक संभावित दृष्टिकोण नहीं था।

आपराधिक प्रकरण, दोषसिद्धी धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आधार पर की गई। अभियुक्त पर वह आरोप ही नहीं लगाया था अभिनिर्धारितः आरोप पत्र में धारा 34 की चूक स्वमेव या विधितः किसी भी अनुमान या पूर्वाग्रह के होने की धारणा का कारण नहीं बनता है। इस प्रकार की चूक से पूर्वाग्रह होना संतोषजनक रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए। तत्काल प्रकरण में, कोई पूर्वाग्रह हुआ ही नहीं दर्शाया गया दण्ड संहिता, 1860 धारा 34 भा० दं० सं०।

अपीलार्थी/अभियुक्त, अभियुक्त संख्या 4 के पर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा एक व्यक्ति की मौत की गई और दूसरे को चोटें कारित की। अभियोजन पक्ष का कि सभी अभियुक्त ने मृतक और अभियोजन साक्षी 1 आहत पीडित को रोका। अभियुक्त संख्या 4 को छोड़कर सभी आरोपी कैजुआरिना की डंडों से लैस थे। उन्होंने मृतक व अभियोजना साक्षी 1 पर हमला किया व उनको चोटे पहुंचाई। मृतक ने बाद में चोटों के कारण दम

तोड़ दिया। यह घटना उस घटना की एक कड़ी थी जो अभियुक्तों व दूसरी तरफ मृतक व अभियोजन साक्षी संख्या 1 के मध्य एक दिन छोड़कर पहले हुई थी जिसे अभियोजन साक्षी संख्या 3 के हस्तक्षेप पर शांत किया गया था। अपीलार्थी संख्या 1 ने मृतक के गंभीर परिणामों की धमकी दी थी। अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 302 और 324 आई-पी-सी- व अभियुक्त संख्या 4 पर पर धारा 302 व 324 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का अधिरोपित किया गया। अभियोजन साक्षी 2, 3, व 6 को चश्मदीद गवाहों के रूप में परिक्षित कराया गया। विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त किया। उच्च न्यायालय ने ए 4 के संबंध में दोषमुक्त के आदेश को यथावत रखा जबकि अपीलार्थियों के संबंध में दोषमुक्ति आदेश को उलट दिया और उन्हें अन्तर्गत धारा 302, 34 व अन्तर्गत धारा 324, 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया। इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को पलटने में साक्ष्य का सिरे से मूल्यांकन सही नहीं था, अभियुक्त अपीलार्थियों पर अन्तर्गत धारा 34 भारतीय दंड संहिता का आरोप नहीं लगाया गया था। इसलिए धारा 34 की सहायता के साथ उच्च न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जा सकता था और यह कि उच्च न्यायालय के पास यह अभिनिर्धारित करने का कोई आधार नहीं था कि अपीलार्थियों का हत्या कारित करने का सामान्य आशय था।

अभियोजन साक्षीगण 1, 2, 3, 4 व 6 सभी ने साक्ष्य में अभियोजन का समर्थन किया कि मृतक पर अपीलार्थियों द्वारा हमला किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आई जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय छोटे विरोधाभास पर इन गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति इस प्रकार प्रकरण में एक यथोचित संभव दृष्टिकोण नहीं था। जिसको उच्च न्यायालय अपील सुनवाई के दौरान पलटने का हकदार था। (मद 17) (647-ई-जी)

2.1 धारा 386 दंड प्रक्रिया संहिता के पठन से संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय ऐसे आदेश को उलट सकता है और निर्देश दे सकता है कि आगे की जांच की जाए या अभियुक्त पर फिर से मुकदमा चलाया जाए, जैसा भी मामला हो, या उस पर विधि के अनुसार सजा अधिरोपित करें। इसी तरह से दोषसिद्धी अपील के मामले में, अपीलीय न्यायालय के पास विचारण अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को उलटने और आरोपी को आरोपमुक्त करने या उसके पुनः मुकदमे आदि के लिए आदेश पारित करने की शक्ति है। (मद 10) (639-जी)

2.2 बरी किए जाने के विरुद्ध अपील का निर्णय करते समय, अपीलीय न्यायालय की शक्ति किसी भी तरह से किसी सीमा से सीमित नहीं है और उस शक्ति का उपयोग अपीलीय द्वारा समस्त साक्ष्य का पूर्वाविलोकन करने के लिए भी किया जा सकता है। अपीलीय न्यायालय को यह मस्तिष्क में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति मामले में, अभियुक्त की निर्दोषता, उसकी दोषसिद्धी से दोगुनी विश्वसनीयता हो जाती है। परिणामस्वरूप, यदि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से दो युक्तियुक्त निष्कर्ष निकलते स्वयंव हो, ऐसे में अपीलीय न्यायालय को अभियुक्त के पक्ष में दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। (मद 11) (639-एच; 640-ए-बी)

2.3 यदि अपीलीय न्यायालय यह पाता है कि विचारण न्यायालय का अभियुक्त को दोषमुक्ति का मत युक्तियुक्त संभवत नहीं है, वह इस मत को पलट सकता है, व अभियुक्त को दोषी मान सकता है। इसके विपरीत, यदि दृष्टिकोण उचित रूप से संभव दृष्टिकोण नहीं है, तो अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है कि वह हस्तक्षेप करें और अभियुक्त को दण्डित करने का उचित आदेश पारित करके न्याय की विफलता को रोकें। सिर्फ इसलिए कि विचारण अदालत ने अपीलार्थियों के पक्ष में एक दोषमुक्ति दर्ज की गई, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलीय न्यायालय की दोषमुक्ति को उलटने की शकित पर कोई बाधा है। (मद 12) (641-ई-जी) 4. यह कहना सही नहीं

है कि अपीलार्थियों की ओर से मृतक की हत्या कारित करने का समान आशय दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त रूप से साबित करता है कि अपीलार्थियों ने पिछली तारीख को मृतक और पीडब्ल्यू-1 का सामना किया जो कि अभियोजन साक्षी-3 के हस्तक्षेप से समाप्त हुआ। उक्त अभियोजन साक्षी-3 अपीलार्थियों द्वारा मृतक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई, का गवाह था। तत्काल मामले में परिस्थितियां कोई संदेह नहीं छोड़ती हैं कि अपीलार्थियों ने मृतक को हत्या करने का सामान्य इरादा साझा किया और उन्होंने एक पूर्व नियोजित योजना के तहत काम किया। तत्काल मामले में घटना के पीछे एक इतिहास था कि अपीलकर्ताओं ने न केवल मृतक को पहले धमकी दी थी, बल्कि वे घटनास्थल पर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। जिससे स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि अपराध पूर्व नियोजित था। (मद 16) (646-ई-एफ, 647-सी-डी)-

-: सन्दर्भित निर्णय विधि :-

1996 (4) पूरक। एससीआर 28	पर निर्भर	मद 11
2006 (1) एससीआर 201	पर निर्भर	मद 11

2012 (10) स्केल 378 पर निर्भर मद 11

2007 (2) एससीआर 630 पर निर्भर मद 11

1964 एससीआर 678 पर निर्भर मद 13

2012 (8) स्केल 649 पर निर्भर मद 14

2005 (5) पूरक एससीआर 90 पर निर्भर मद 15

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1116/2011

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद आपराधिक अपील संख्या 1055/2007 के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 08.02.2011 से।

अपीलार्थी की ओर से एम. एस. गणेश, टी. अनामिका।

अप्रार्थी की ओर से डी. महेश बाबू, मयूर शाह, सविता देवी, सुचित्रा हरंगखाल, अमित के नैन, एम. बी. शिवडू।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था।

टी. एस. ठाकुर, जे.।

1. यह अपील उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 की धारा 2(ए) के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश

उच्च न्यायालय द्वारा 8 फरवरी, 2011 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुये पेश हुई जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हैदराबाद राज्य द्वारा दायर दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये विचारण अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें प्रत्येक को आजीवन कारावास के साथ 1000 रूपये की सजा सुनाई। जुर्माने का भुगतान न करने पर प्रत्येक अपीलार्थियों को एक माह की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा। प्रत्येक अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और प्रत्येक को तीन माह की कारावास की सजा सुनाई गई। यह निर्देशित किया गया कि सजायें साथ-साथ चलेंगी।

2.संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 27 अप्रैल, 2003 को शाम को लगभग 7 बजे अपीलार्थी एक व्यक्ति पापिसेट्टी प्रवीण के साथ जिसे आरोपी नं. 4 के रूप में जोड़ा गया, ने मृतक बेजवाड़ा श्रीनिवास राव और पीडब्ल्यू-1 अलापति शेषादरी को रोका, जब वो घर बेथोवेलु पार्क सेंटर, जो घटनास्थल है वहां जा रहे थे। एक ओर अभियुक्त और दूसरी ओर मृतक और पीडब्ल्यू-1 के बीच अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले दिन यानी 26 अप्रैल, 2003 को झगड़ा हुआ था। मृतक और पीडब्ल्यू-1 खेतों से

कुछ पामिरा नट्स ला रहे थे। पीडब्ल्यू-3 सोनती कोटेश्वर राव, एक दुकानदार जो आसपास में पान की दुकान चलाती है, ने खुद को इस घटना का गवाहन होने का दावा किया और हस्तक्षेप किया था और पक्षों को शांत किया था जो दोनों पक्षों को बिना किसी शारीरिक नुकसान के समाप्त हुआ, सिवाय इसके कि अभियोजन पक्ष के अनुसार अपीलार्थी संख्या 1 चिन्नाम कामेश्वर राव ने मृतक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। पृष्ठभूमि में उपरोक्त घटना के साथ 27 अप्रैल, 2003 में, अभियुक्तों, अभियुक्त संख्या 4 को छोड कर, जो निहत्था था, सभी मजबूत केसुआरिना डंडों से लैस थे, ने कथित रूप से मृतक और पीडब्ल्यू-1 अलापति शेषादरी का सामना किया। पिछले दिन की घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। आरोप है कि अपीलार्थी संख्या 1 चिन्नाम कामेश्वर राव ने एक प्रहार मृतक के सिर पर किया। जब पीडब्ल्यू-1 अलापति शेषादरी ने हस्तक्षेप किया, तो शेष दो अपीलार्थी उनकी ओर आ गये व उस पर हमला किया और उसके सिर पर लाठी से प्रहार किये। साथ ही घायल अलापति शेषादरी पीडब्ल्यू-1 भी जमीन पर गिर गए, जिसके बाद अभियुक्त-4 ने कथित रूप से लात और मुक्के से मृतक को माना जबकि ए-1 से ए-3 दोनों को लाठियों से अंधाधुंध मारते रहे। जिसने दोनों को रक्त कारित चोटें आईं। उन दोनों को मृत मानते हुए, अपीलार्थी घटनास्थल से घर की ओर भाग गये। अपीलार्थी संख्या 1 सोनती श्रीनिवास राव पुत्र नागेश्वर राव पीडब्ल्यू-2,

सोनती कोटेश्वर राव पीडब्ल्यू-3, सोनती श्रीनिवास राव, पुत्र वीरैया पीडब्ल्यू-4 और एम. वी. गोपाल कृष्ण मूर्ति पीडब्ल्यू-6 घटना को देखा है। पीडब्ल्यू-2 सोंटी श्रीनिवास राव ने पी. वासुदेव राव की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल, गुड्डीवाड़ा स्थानांतरित किया। जिन्होंने गुड्डीवाड़ा पुलिस थाना को घायलों को अस्पताल लाये जाने बाबत सूचित किया जिस पर अ. साक्षी संख्या 9-बी जया राजू, ए एस आई अस्पताल पहुंचा और मृतक के बयान प्रदर्श पी-6 लेखबद्ध किये। उक्त बयान के आधार पर 324 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया व आहतों को आगे उपचार हेतु विश्वविद्यालय सामान्य अस्पताल, विजयवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया। दिनांक 28 अप्रैल, 2003 को करीब 2:50 बजे, विजयवाड़ा अस्पताल में मृतक की चोटों के कारण मृत्यु हो गई, जिस पर अनुसंधान अधिकारी ने अपराध को धारा 324 सपठित धारा 34 की 302 सपठित धारा 34 भा. दं. सं. में बदल दिया।

3.अनुसंधान पूरा होने के बाद जिसमें आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी, मृतक के शव का पोस्टमार्टम, अपराध के हथियारों की जब्ती शामिल थे। पुलिस ने अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 307 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र पेश किये। जबकि ए-4

को धारा 302 व 307 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता से आरोपित किया गया।

4.मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह परिक्षित कराये, जिनमें पीडब्ल्यू 2, 3, 4 व 6 को घटना के चश्मदीद गवाह कहा जाता है। अभियुक्तों ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा और तद्नुसार सभी को दोषमुक्त कर दिया।

5.विचारण न्यायालय दोषमुक्ति के निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर राज्य ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 1055/2007 पेश की जो आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये अपीलार्थियों को दोषमुक्त करके आदेश को उलट दिया और उन्हें धारा अपराध अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भा. दं. सं. एंव धारा 324 सपठित धारा 34 भा. दं. सं. में दोषी ठहराया। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त संख्या 4 की पुष्टि की गई। इसके परिणामस्वरूप जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है कि अपीलार्थियों को आजीवन कारावास व धारा 324 भा. दं. सं. के अन्तर्गत तीन माह की सजा सुनाई।

सजाओं को एक साल चलाने का निर्देश दिया गया। हस्तगत अपील में उक्त निर्णय एवं आदेश की शुद्धता को चुनौती दी गई।

6. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए श्री एम. एस. गणेश, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तीन आधार रखे। सबसे पहले, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने शुरू करने में गलती की थी मुकदमे में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का एक सिरे से मूल्यांकन किया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप किया, क्योंकि उच्च न्यायालय की राय में एक दूसरा दृष्टिकोण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में समान रूप से उचित था। उन्हांेने आग्रह किया कि अभियुक्तों को दोषमुक्ति करने से उनकी बेगुनाही मजबूत हुई और सिवाय इसके कि जहां बाध्यकारी परिस्थितियां ऐसी हों कि दोषमुक्ति को न्याय की विफलता के रूप में देखा जाता है या जहां साक्ष्य की सराहना विकृत या स्पष्ट रूप से असंतोषजनक हो तब तक उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति को दोषसिद्धी में नहीं बदलना चाहिए।

7.दूसरा, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय अपीलार्थियों को अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धारा में 302 एवं 307 सपठित धारा 34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत दोषसिद्ध नहीं कर सकता, जब अपीलार्थियों के विरुद्ध केवल अपराध दण्डनीय अन्तर्गत धाराओं 302 एवं 307 भा. दं. सं. के

आरोप थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि केवल अभियुक्त संख्या 4, जिसको कि विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया, पर धारा 302 सपठित धारा 34 भा. दं. सं. का आरोप था, इसलिए उच्च न्यायालय का अपीलार्थियों को धारा 34 संहिता की सहायता लेकर हत्या कारित करना या हत्या का प्रयास करना के अन्तर्गत दोषसिद्ध करना न्यायोचित नहीं था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, आरोप अन्तर्गत धारा 34 की अनुपस्थित के परिणामस्वरूप अपीलार्थियों के प्रति पूर्वाग्रह एवं न्याय की विफलता हुई।

8. तीसरा, यह तर्क दिया गया था अनवीक्षा के दौरान पेश किए गए साक्ष्य का सही और उचित मूल्यांकन करने पर उच्च न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करने का कोई वास्तविक आधार नहीं था कि अपीलार्थियों का मृतक की हत्या करने का सामान्य आशय था। इस आरोप का समर्थन में किसी भी सबूत के अभाव कि अपीलकर्ताओं का मृतक को मारने का एक सामान्य आशय था, धारा 302 भा. दं. सं. के अन्तर्गत दंडनीय हत्या के अपराध के लिए उनकी सजा किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं थी। सबूत नहीं था जो हत्या के आरोप का समर्थन करें जो उचित रूप से हो सकता है वह गैर इरादतन हत्या जो हत्या ना हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग प्रथम या द्वितीय के अन्तर्गत दंडनीय में परिवर्तित किया जाता।

9.हम प्रस्तुतियों को क्रम से निपटाने का प्रस्ताव करते हैं।

10.अपीलीय न्यायालय की शक्तियां धारा 386 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निर्धारित की गई हैं उक्त प्रावधान को अक्षरशः पढ़ने में कोई संदेह नहीं है कि दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील में अपीलीय न्ययालय ऐसे आदेश को पलट सकता है और आगे की जांच के आदेश या अभियुक्त पर पुनः मुकदमा चलाये जाने के, जैसा भी मामला हो या विधि अनुसार उस पर सजा अधिरोपित कर सकता है। इसी प्रकार से दोषसिद्धी के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय के पास विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्षों को उलटने अभियुक्त को आरोप मुक्त करने या पुनः विचारण के आदेश इत्यादि की शक्ति है।

11.अपीलीय न्यायालय को उपलब्ध शक्ति की प्रचुरता और इस न्यायालय की हाल की मतों के बावजूद न्यायालय ने विवेक का एक नियम विकसित किया जिसके अनुसार अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में आरोपी की बेगुनाही उसके दोषमुक्त होने से दोगुनी सुनिश्चित हो जाती है। नतीजतन, यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव है तो अपीलीय न्यायालय को अभियुक्त के पक्ष में दर्ज किए गए दोषमुक्ति किए जाने के निष्कर्षों को छेड़ना नहीं चाहिए। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की एक लंबी कतार ने

मान्यता दी है कि दोषमुक्त करने की अपील का निर्णय करते समय अपीलीय न्यायालय किसी भी तरह से किसी सीमा से घिरा नहीं है और उस शक्ति का उपयोग अपीलीय न्यायालय द्वारा पूरे साक्ष्य की व्यापक समीक्षा करने के लिए किया जा सकता है। इस न्यायालय के निर्णय धन्ना आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1996) 10 एससीसी 79 और कल्लू उर्फ मसीह व अन्य बनाम मध्य प्रदेश (2006) 10 एस सीसी 313 में कानूनी स्थिति का उपयुक्त सारांश प्रस्तुत है। इस न्यायालय के हाल ही के एक निर्णय मुरूगेसन व अन्य बनाम राज्य 2012 (10) स्केल 378 में एक सामयिक अनुस्मारक के ऐसे सिद्धान्त जो पहले के निर्णय में संक्षिप्त रूप से चंद्रप्पा व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 4 एस सी सी 415, निम्नलिखित शब्दों में प्रतिपादित किये गयेः-

"42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे सुविचारित विचार में, दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में सामान्य सिद्धान्त सामने आते हैंः-

(1) अपीलीय न्यायालय के पास समीक्षा करने की पूरी शक्ति होती है। उन साक्ष्यों की सराहना करें और उन पर पुनिर्विचार करें जिन पर दोषमुक्ति का आदेश स्थापित किया गया है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 इस तरह की शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपीलीय न्यायालय उनके सामने प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तथ्य और कानून दोनों प्रश्नों पर इसका अपना निष्कर्ष निकाल सकता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियां, जैसे'' '', ''अच्छे और पर्याप्त आधार'', ''बहुत मजबूत परिस्थितियां, ''विकृत निष्कर्ष, ''स्पष्ट गलतियां आदि का उद्देश्य अपीलीय न्यायालय की दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। ऐसे वाक्यांशों की प्रकृति भाषा को प्रभावशाली बनाने का एक तरीका है ऐसी भाषा से दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय के हस्तक्षेप करने की अनीच्छा पर जोर देने के लिए है ना कि न्यायालय का साक्ष्य को पुनर्विलोकन करने और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति को कम करने का नहीं है।

(4) तथापि, एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्त होने के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा होती है। सबसे पहले, निर्दोषता की धारणा है कि आपराधिक के मौलिक सिद्धान्त के तहत उसके लिए उपलब्ध न्यायशास्त्र की प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा जब तक वह किसी सक्षम अदालत से विधिक रूप से दोषी साबित

नहीं हो जाता। दूसरा, अभियुक्त ने अपना दोषमुक्त होना सुनिश्चित कर लिा है, उसकी निर्दोषता की धारणा को और मजबूत किया जाता है। विचारण न्ययालय द्वारा पुनः पुष्टि और मजबूत किया गया।

(5) यदि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से दो उचित निष्कर्ष संभव है तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।
(बल दिया गया)

12. इसलिए तय की गई कानूनी स्थिति के अन्तर्गत इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक उचित रूप से संभव दृष्टिकोण था। यदि उत्तर नकारात्मक है तो कुछ भी अपीलीय न्यायालय को रोक नहीं सकता। विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को उलटने और अभिनिर्धारित करने से की अभियुक्त दोषी है। इसके विपरीत, यदि मत यथोचित रूप से संभव दृष्टिकोण नहीं है तो अपीलीय न्यायालय कर्तव्यबद्ध है कि हस्तक्षेप करें और अभियुक्त को दण्डित करने का उचित आदेश पारित करके न्याय की विफलता को रोकें। हमारा इस दृष्टिकोण में इस तर्क को अस्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि विचारण अदालत ने अपीलार्थियों के पक्ष में दोषमुक्त का फैसला दर्ज किया था।

अपीलीय न्यायालय के पास इस तरह के दोषमुक्ति फैसले को उलटने की अपनी शक्ति पर कोई सीमा थी। यह मत यथोचित रूप से संभव था या नहीं हम थोड़ी देर बाद देखेंगे जब हम अपीलार्थी द्वारा अपराध में उनकी भागीदारी के संबंध में किये गये आग्रह पर गुणावगुण पर विचार करेंगे।

13.यह हमें इस सवाल पर लाता है कि क्या भा0 दं0 सं0 की धारा 34 के तहत आरोप की अनुपस्थिति अपीलीय न्यायालय के दोषसिद्धी दर्ज करने में उस प्रावधान के अन्तर्गत बाधा है। इस न्यायालय का निर्णय उस विवाद का एक पूर्ण उत्तर है जिसका हम तुरंत उल्लेख कर सकते हैं। कृष्ण गोविंद पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1963 एस सी 1413 विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया। जबकि उच्च न्यायालय ने उन्हें भा0 दं0 सं0 की धारा 302 सपठित धारा 34 के अनतर्गत दोषी ठहराया। इस अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय अभियुक्त को धारा 34 के अन्तर्गत दोषी ठहरा सकता है भले ही नामित अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया हो बशर्ते कि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अन्य अनाम अभियुक्त थे जो अपराध करने में शामिल थे। उक्त निर्णय का निम्नलिखित अंश इस संबंध में उपयुक्त है ''यह सुस्थापित है कि इस धारा के अनुसार सामान्य आशय का अर्थ है पूर्व नियोजित योजना और आपराधिक कृत्य, पूर्व नियोजित योजना के अनुसार किया गया। उक्त योजना अपराध के दौरान मौके पर भी विकसित हो सकती है, लेकिन

महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि उक्त योजना अपराध का गठन करने वाले कृत्य से पहले होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो न्यायालय को किसी व्यक्ति को धारा 302 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 में दोषसिद्ध करने से पूर्व निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, कि कथित व्यक्ति का एक या ज्यादा व्यक्तियों के साथ, नाम था अनाम, से अपराध कारित करने की पूर्व नियोजित योजना थी। कुछ दृष्टान्तों के माध्मय से विभिन्न परिस्थितियों में धारा 34 के प्रभाव को प्रकाशित करते हैं-

(1) ए, बी, सी, व डी को ई की हत्या कारित करने के लिए धारा 303 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 में आरोपित किया गया।

(2) ए, बी, सी, एवं डी अनाम अन्य कथित धाराओं में आरोपित किये गये, परन्तु साक्ष्य प्रस्तुत किये गये कि कथित व्यक्तियों ने अन्यों के साथ, नाम या अनाम, के साथ संयुक्त रूप से उक्त अपराध कारित करने में भाग लिया।

(3) उक्त धाराओं के अन्तर्गत ए, बी, सी, और डी पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन साक्ष्य से यह साबित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि ए, बी, सी और डी, 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अपराध किया है।

लेकिन क्या स्थिति होगी यदि न्यायालय 4 में से 3 अभियुक्तों को दोषमुक्त कर देता है या तो इसलिए कि वह अभियोजन साक्ष्य को अस्वीकार करता है या क्योंकि अभियुक्त को यह संदेह का लाभ देता है? क्या यह आरोप के अभाव में निर्धारित कर सकता है कि हालांकि तीन आरोपी को दोषमुक्त किया गया, कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से नामित व्यक्त्यिों में से एक के साथ कार्य किया? अगर न्यायालय ऐसा कर सकती हैं यह एक अभियोजन के लिए एक नया मामला बन जाएगा, साक्ष्य के विपरीत निर्णय लेना होगा। न्यायालय स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के लिए मामला, जिसका खुलासा आरोप में या जिसके संबंध में कोई साक्ष्य में कोई आधार नहीं है, नहीं बना सकता। साक्ष्य में कुछ आधारशिला होनी चाहिए कि नामित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों ने अपराध कारित करने में भाग लिया है यदि ऐसा कोई आधार है तो मामला तीसरे दृष्टान्त द्वारा अन्तर्निहित होगा।

(बल देने के लिए रेखांकित किया)

14. कानूनी स्थिति की समीक्षा इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने दरबार सिंह बनाम पंजाब राज्य 2012 (8) स्केल 649 में की थी। उस मामले में भी दो अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत आरोप तय किए गए थे। जबकि तीसरे अभियुक्त के विरुद्ध धारा

302 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत आरोप तय किया गया था। तीसरे अभियुक्त को विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। लेकिन पहले दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया, जैसा कि वर्तमान मामले में स्थिति है। इस न्यायसालय के समक्ष तर्क यह था कि धारा 34 के अभाव में कोई दोषसिद्धी अपीलार्थियों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 302 के विरुद्ध नहीं हो सकती। विशेष रूप से जब अभियुक्त व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा कारित चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो।

इस तर्क को हटाते हुए इस न्यायालय ने कहाः-

> ''12. यह अपीलार्थी की ओर से आगे प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि अपीलार्थी पर कभी भी धारा 302 सपठित धारा 34 मा0 दं0 सं0 का आरोप नहीं लगाया गया था जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता है कि अपीलार्थी द्वारा की मृतक के सिर पर कारित की गई चोट,
>
> मृत्यु के लिए पर्याप्त थी, अपीलार्थी को केवल धारा 302 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था। इस तरह से प्रस्तुत तर्क साधारण कारण से विचार करने योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी के विद्वान

वकील यह दिखाने में असमर्थ रहे हैं कि अपीलार्थी को कोई पूर्वाग्रह, यदि कोई हो तो, हुआ, भले ही उसके खिलाफ ऐसा आरोप नहीं लगाया गया हो। वे हमेशा सभी तथ्यों से पूरी तरह वाकिफ थे और वास्तव में वे कश्मीर सिंह और हीरा सिंह के साथ मृतक को मारने के इरादे से गये। दोनों ने निस्संदेह मृतक मुख्तियार सिंह को चोटें कारित कीं। मृतक के सिर पर, जो कि शरीर का मार्मिक अंग है, पर गंभीर चोट कारित करने का दोषी माना गया। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में जो तर्क दिये गये वह स्वीकार्य योग्य नहीं है।"

14. आरोप तय करने में दोष इस प्रकार होना चाहिए जो धारा 464/465 द0 प्र0 सं0 के भी अन्तर्गत ना हो जो प्रदान करता है कि कोई आदेश सजा या दोषसिद्धि को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि कोई आरोप नहीं बनाया गया था, और वहां कोई अनियमितता या चूक या आरोपों का कुसंयोजन था, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता भी थी। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रासंगिक आरोप तैयार करने में कोई त्रुटि, यूक या अनियमितता न्याय की विफलता का कारण बनी है, न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या कोई आपत्ति हो

सकती है जो कार्यवाहियों के प्रारंभिक चरण में उठाई गई है, या नहीं। पूर्वाग्रह या अपराध के प्रश्न पर न्याय करते हुये न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक आरोपी के पास एक निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। वह इस बात से अवगत हो कि उस पर किए लिए मुकदमा चलाया जारहा है और जहां उनके विरुद्ध किन तथ्यों को स्थापित करने की मांग की गई है, उसे निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से समझाया जाता है और इसके अलावा, जहां उसे आरोपों से बचाव करने का पूरा और उचित मौका दिया जाता है।

15.'न्याय की विफलता बेहद लचीली और सरल अभिव्यक्ति है, जिसे किसी भी मामले में किसी भी स्थिति में उपर्युक्त किया जा सकता है। अदालत को सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। वहां न्याय की विफलता होगी, न केवल अन्यायपूर्ण दोषसिद्धी से लेकिन अन्यायपूर्ण विफलता के परिणामस्वरूप दोषियों को दोषमुक्त करके भी आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करना। बेशक, अभियुक्तों के अधिकारों को ध्यान में रखा चाहिए और उनकी रखा की जानी चाहिए। लेकिन उन पर अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए यह भूल जाना कि पीडितों के भी अधिकार हैं यह दिखाना होगा कि अभियुक्त को कुछ अक्षमता हुई है या भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत उसे उपलब्ध सुरक्षा के संबंध में नुकसान। पूर्वाग्रह, अपने सामान्य अर्थों में व्याख्या करने में असमर्थ और आपराधिक न्यायशास्त्र पर लागू

किया गया। पूर्वाग्रह की याचिका जांच या मुकदमे के संबंध में होनी चाहिए न कि न्यायालय के आदेशों के तहत लाभ प्राप्त करें।

15. गुरप्रीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2005) 12 एस सी सी 615, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई अभियुक्त द्वारा पूर्वाग्रह का दावा नहीं किया जा सकता है केवल इसलिए कि धारा 302 आई. पी. सी. सरल और आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत आरोप तय किया गया था। अदालत ने पाया कि चश्मदीद गवाहों को क्रा ॅस किया गया था एवं चश्मदीद गवाहों को जो सुझाव दिए गए थे उनकी वजह से अदालत पूरी तरह से संतुष्ट थी कि कोई पूर्वाग्रह नहीं था। इसलिए क्या इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि आई. पी. सी की धारा 34 के तहत आरोप के अभाव में अभियुक्त व्यक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया गया था। जिसके कारण आरोप पत्र से केवल धारा 34 को हटाना वास्तविक या अप्रत्यक्ष नहीं है। न्याय किसी भी निष्कर्ष या पूर्वाग्रह की धारणा की ओर ले जाता है। उन मामलों में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है जहां उस प्रावधान की मदद से दोषसिद्धी दर्ज की जाती है। यह केवल तभी है जब अभियुक्त व्यक्ति अभिवचन करते हैं और संतोषजनक रूप से प्रदर्शित करते हैं कि पूर्वाग्रह था। वास्तव में धारा 34 आई. पी. सी. के तहत आरोप को हटाने के परिणामस्वरूप उक्त धारा के अन्तर्गत ऐसी कोई भी चूक महत्वपूर्ण हो सकती है। हम नहीं देखते कि वर्तमान मामले में इस तरह

का कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। श्री गणेश के प्रति निष्पक्षता में हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि हालांकि उन्होंने पूर्वाग्रह प्रदर्शित करने के लिए हमारे द्वारा निपटाए गए कानूनी प्रस्ताव पर जोरदार तर्क दिया था। धारा 34 के तहत आरोप की अनुपस्थिति के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ था। उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया कि धारा 34 भा0 दं0 सं0 की अनुपस्थिति ने दोषसिद्धी की वैधता को प्रभावित नहीं किया।

16. यह हमें श्री गणेश द्वारा आग्रह किए गए तीसरे और एकमात्र अन्य निवेदन पर लाता है कि अपीलकर्ताओं की ओर से मृतक की हत्या करने का सामान्य इरादा दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था। हमें उस समर्पण को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता पर खेद है। रिकार्ड पर मौजूद सबूत पर्याप्त रूप से साबित करते हैं कि अपीलकर्ताओं ने पिछली तारीख पर मृतक और पीडब्ल्यू-1 अलापति शेषाद्री का आमना-सामना किया था, जिसे आस-पास के एक दुकानदार पीडब्ल्यू-3 सोनती कोटेश्वर राव के हस्तक्षेप से शांत कर दिया गया था, जो हालांकि गवाह था। अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। यह दिखाने के लिए सबूत है कि घटना की तारीख पर अपीलकर्ता मृतक के लिए कमरे के पास इंतजार में लेटे हुए थे। जैसे ही उन्होंने उसे उस स्थान के पास आते हुए देखा जहां वे इंतजार कर रहे थे। वे मजबूत डंडों को लाने के लिए कमरे के पीछे चले गये, जिन्हें उन्होंने मृतक पर अचानक हमला करने के

लिए सार्वजनिक दृष्य से छिपा दिया था। इसका तात्पर्य यह है कि अपीलकर्ताओं ने अपराध करने की तैयारी कर ली थी और यह घटना पिछली तारीख पर दोनों पक्षों के बीच हुए टकराव की अगली कड़ी के रूप में पूर्वनियोजित थी। अन्तिम और किसी भी तरह से सबसे कम महत्वपूर्ण परिस्थिति मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर लगी चोटों की प्रकृति है। जिसके परिणामस्वरूप खोपड़ी में फ्रैक्चर आने का खतरा होता है। जो सामान्य स्थिति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि तीनों आरोपियों ने मृतक को प्रताड़ित किया और अपना हमला और आक्रामकता तब भी जारी रखी। जब मृतक सिर में चोट लगने के कारण जमीन पर गिर गया था। अपीलकर्ता घटनास्थल से तभी भागे जब उन्हें लगा कि मृतक मर गया है। इन सभी परिस्थितियों में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अपीलकर्ताओं को मृतक को मारने का सामान्य इरादा था और उन्होंने एक पूर्वनिर्धारित योजना के तहत काम किया था। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अपराध करने के दौरान सामान्य इरादा विकसित हो सकता है। लेकिन तथ्य यह है कि तत्काल मामले में घटना के पीछे एक इतिहास था और अपीलकर्ताओं ने न केवल मृतक को पहले धमकी ही दी थी, बल्कि वे इसके इंतजार में लेटे हुए थे। घटनास्थल पर उनके पहुंचने से स्पष्ट रूप से पता चला कि अपराध पूर्वनियोजित था।

17.इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की। खासकर जब पीडब्ल्यू-1 अलापति शेषाद्री का बयान, जो घटना में घायल भी हुआ था, विश्वसनीय पाया गया। पीडब्ल्यू-1 अलापति शेषाद्री, पीडब्ल्यू-2 सोनती श्रीनिवास राव पुत्र नागेश्वर राव, पीडब्ल्यू-3 सोनती कोटेश्वर राव, पीडब्ल्यू-4 सोनती श्रीनिवास राव पुत्र वीरैया, पीडब्ल्यू-6 एम. वी. गोपाल कृष्ण मूर्ति ने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन किया कि मृतक पर अपीलकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने मामूली विरोधाभासों पर इन गवाहों की गवाही को खारिज करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी। जो उनकी विश्वसनीयता को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति उस मामले में एक यथोचित संभव दृष्टिकोण नहीं था। जिसे अपील की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय को पलटने का अधिकार था। परिणामस्वरूप यह अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

के.के.टी.

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दिनेश त्यागी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।